न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील एल.आर.संख्याः–26 / 2016(2016 / 00026)75 / दूदू

1. श्याम कंवर पुत्री स्व. मोती सिंह जाति राजपूत निवासी अखैपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. लाली देवी पत्नी लाला राम बलाई जाति बलाई निवासी अखैपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेण्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ),जयपुर के आदेश दिनांक 08.01.2016, प्रकरण संख्या 134 / 2014

उपस्थितः–

1. श्री वैभव कृष्ण पारीक एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री महेन्द्र सिंह चौहान / एस.जे.गिरी एड़वोकेट रेस्पो.संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक श्री धर्मवीर चौधरी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–07.03.2019

1. अपीलांट ने यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर के आदेश दिनांक 08.01.2016, प्रकरण संख्या 134 / 2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक ने ग्राम अखैपुरा तहसील मौजमाबाद की आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 4 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 03.03.1997 को आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान किये। भू–आवंटन सलाहकार समिति की राय से उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर के आदेश दिनांक 03.03.1997 के विरूद्ध प्रार्थीया / अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम 1970 न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (चतुर्थ), जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जो दिनांक 08.01.2016 को खारिज किया गया। अतिरिक्त कलक्टर, (चतुर्थ), जयपुर के आदेश दिनांक 08.01.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए, तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विवादित भूमि शुरू से ही प्रार्थीया / अपीलांट के पिता एवं उनके पूर्वज के नाम से खातेदारी एवं कब्ज काश्त में चली आ रही है लेंकिन उनके पास भूमि अधिक होने के कारण राज्य सरकार ने उनकी भूमि में से कुछ भूमि सीलिंग में लेकर सिवायचक करने का आदेश जारी कर दिये लेकिन साबिक खसरा नम्बर 372 जिसके वर्तमान नम्बर 524 सीलिंग से मुक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रही है और आज तक सिवायचक भी दर्ज नही हुई। उसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक ने भूमि की किस्म देखें बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन कर दिया, जबकि जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा था । प्रार्थीया/अपीलांट के पूर्वजों ने यह भूमि कभी राज्य सरकार को सरेण्डर नहीं की थी इसके उपरान्त भी बिना किसी अधिकार व कारण के विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया जिसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, साभंरलेक, उसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी,दूदू , राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं उसके बाद मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट विवाराधीन है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो विवादित आदेश प्रदान किया है वह पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि मान्नीय राजस्व मण्डल राज., अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2006 की पालना में 149 बीघा 7 बिस्वा भूमि कब्जेराज ली जाने वाली भूमि कुल रकबा 149 बीघा 7 बिस्वा के दिये गये विकल्प न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में आवंटनशुदा भूमि खसरा नम्बर 371, 375 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा अपील में विचाराधीन रकबे को न्यायालय के निर्णय तक छोड़ते हुए विकल्प स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय के निर्णय तक उक्त भूमि की स्थिति यथावत् रहेगी एवं शेष उक्त खातेदारों की अधिग्रहित भूमि सीलिंग से बागुजास्त किया जाता है। इससे पूर्णतयो स्पष्ट हो जाता है कि विवादित खसरा नम्बर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में नही किया जा सकता था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन आदेश पारित कर दिये है जो पूर्णतया कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर के आदेश दिनांक 08.01.2016, प्रकरण संख्या 134/2014 एवं आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के आदेश दिनांक 03.03.1997 को निरस्त फरमाया जावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील में बहस करते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी सीलिंग सिवायचक भूमि है जिसका सरकार ने नियमानुसार अधिग्रहण किया है। सीलिंग सरप्लस आराजी को नियमानुसार राजस्व अभियान के दौरान मजमेआम में आवंटन किया है। विवादग्रस्त आराजी के आवंटन की उद्घोषणा जारी की गई है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भूमिहीन हैं। नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत पात्रता रखते हुए ही निर्धारित सीमा में आवंटन हुआ हैं। आवंटन नियम 1970 के नियम 11 (3) (ख) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के भूमिहिन व्यक्ति को प्राथमिकता से आवंटन किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम 1973 के नियम 17 (3) (ग) में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के भूमिहिन व्यक्ति को प्राथमिकता से आवंटन किये जाने का प्रावधान हैं। राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम 1973 के नियम 19 के अनुसार सीलिंग प्रिमीयम जमा होने के पश्चात् स्वतः ही खातेदारी प्राप्त होने का प्रावधान हैं। अप्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा सीलिंग प्रिमीयम जमा कराया जा चुका है अतः स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। सीलिंग सरप्लस आराजी के आवंटन पर किसी सक्षम न्यायालय की स्थगन आज्ञा नहीं थी। प्रार्थीया/अपीलांट बदनियति पूर्वक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को हैरान व परेशान कर आवंटित कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 2006–07(Supp)आर.आर.टी. पेज 122, 2008(2) आर.आर.टी. पेज 797, 2008(2) आर.आर.टी. पेज 834, 2006–07(Supp)आर.आर.टी. पेज 540 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया।अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि सिलिंग से अप्रभावित होते हुए भी गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सांभर के बाद में उपखण्ड अधिकारी, दूदू एवं उसके पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर तथा तत्पश्चात राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में चाराजोही की परन्तु असफल रहे। वर्तमान में तीनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन हैं। इस कारण अपीलार्थी की पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि को आवंटन नियमों के विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवंटन किया है, जो निरस्त योग्य है। जवाब में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि बरवक्त आवंटन अपीलाधीन भूमि सिवायचक दर्ज रही तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत सभी तथ्यों की जॉच कर नियमों के तहत् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवंटन की गई। अपीलार्थीगण के अपीलाधीन भूमि में अधिकार किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं माने गये तथा वर्तमान में मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपीलार्थी के विधिक अधिकारों का जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक विधिक तौर पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचाराणीय बिन्दु यह है कि वरवक्त आवंटन अपीलाधीन भूमि सही रूप से सिवायचक दर्ज रही है या नहीं ? इस सम्बन्ध में मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचारधीन है जिसमें इस बिन्दु पर मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय होना है। इस स्थिति में क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में हुए आक्षेपित आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं ?

उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर परीक्षण पर प्रश्नगत आवंटन विधिनुकूल पाया जाता है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किए जाने योग्य से निरस्तनीय है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर (चतुर्थ), जयपुर के आदेश दिनांक 08.01.2016 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

7/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 07.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर